राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/नियमितिकरण/2013/५८९ दिनांकः– 25-6-2013

परिपत्र

मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवासो के नियमितिकरण/नियमन की कार्यवाही की प्रकिया में वृत कार्यालयों द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया था जिसके संदर्भ में नियमितिकरण/नियमन की प्रकिया में आने वाली मुख्य समस्याओं के निदान हेतु परिपत्र कमांक मुसप्र/नियमितिकरण/2013/161 दिनांक 03.05.2013 को जारी कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।

वृत कार्यालयों द्वारा संदर्भित परिपत्र कमांक मुसप्र/नियमितिकरण/2013/161 दिनांक 03.05.2013 के बिन्दु संख्या 5 पर पुर्नविचार करते हुए उक्त बिन्दु संख्या 5 को विलोपित किया जाता है व मण्डल के पूर्व कार्यालय आदेश कमांक मुसप्र/2002/115 दिनांक 27.04.2002 में उल्लेखित प्रावधानों के निरन्तरता में पुनर्विचार कर निर्देशित किया जाता है कि आवासन मण्डल द्वारा आवंटित सम्पतियों का सम्बन्धित आवंटियों द्वारा कब्जे से पूर्व को ही बेचान कर दिया गया हो तो ऐसे मामलों में नियमितिकरण निम्न शर्तो के अन्तर्गत किया जावेः–

(अ.) आवासन मण्डल द्वारा आवंटित सम्पति पर आवंटी काबिज रहें हो उनके पास सम्पति पर काबिज होने का कानूनी दस्तावेज उपलब्ध हो।

(ब.) जो आवंटित सम्पति पर काबिज नहीं हो तो उनके पास आवंटित सम्पति के काबिज होने का प्रमाण स्वरूप कानूनी दस्तावेज उपलब्ध हों।

(स) प्रमाणस्वरूप दस्तावेजों में पॉवर ऑफ अर्टोनी, वसीयतनामा, बेचाननामा, इकरारनामा आदि हो सकते है तथा ये दस्तावेज कम से कम नोटरी पब्लिक से तत्समय प्रमाणित किये हो। इन प्रकरणों के दस्तावेज कब्जे से पूर्व अथवा कब्जा लेने के बाद सम्पादित किये गये हो वे मान्य होंगे।

(द) प्रार्थी इस आशय का भी शपथ पत्र पेश करेगा कि भविष्य में किसी प्रकार का न्यायिक विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।

यह आदेश वर्तमान में चालू प्रशासन शहरों के संग अभियान के संदर्भ में ही लागू रहेंगें।

(डॉ0आर0 वेंकटेश्वरन्)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता/निर्देशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त................राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड.......... राजस्थान आवासन मण्डल,.......................।
7. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करें।
8. रक्षित पत्रावली।

(टीकम चन्द बोहरा)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

negi pc\F:\desktop newly\jit letter.docx